(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 171/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/26

बउनवान

जगदीश आयु 35 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम देहरी तहसील छबडा जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

दिलीप कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाटव निवासी सालपुरा रोड छबडा तहसील छबड़ा जिला बारां (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1521 दिनांक 24.11.2021 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.09.2023

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1521 दिनांक 24.11.2021 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खसरा नम्बर 147 की रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 की रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 149 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके माल देहरी तहसील छबडा मे स्थित है। जिसको अपीलांट के पिता श्री प्रभुलाल आत्मज सोजीराम जाति जाटव निवासी देहरी ने दिनांक 09.06.1993 को खरीद किया था एवं खरीद की दिनांक से 20–25 वर्ष पहले से ही अपीलांट का बिना किसी रूकावट व व्यवधान के निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त उक्त आराजी पर चला आ रहा है। ऐसा इकरारनामा दिनांक 09.06.1993 मे भी उल्लेखित है। यह कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 21.09.2021 को विवादित आराजी जर्ये विक्रय पत्र अपने नाम से खरीद कर[illegible] नामान्तरकरण संख्या 1521 से स्वयं के खाते दर्ज करा ली है। रेस्पोडेन्ट का उक्त [illegible] कब्जा ही नही है तो किस तरह से विक्रय पत्र उप पंजीयक द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दी[illegible] कर दिया। क्योंकि कब्जे के अभाव मे न तो विक्रय पत्र तस्दीक किया जा सकता है [illegible] नामान्तरकरण खोला जा सकता है। उक्त विवादित भूमि पर आज भी हमारा कब्जा है। इस [illegible] द्वारा पूर्व मे प्रकरण [illegible]45/2017 किस्म अपील इन्तकाल बउनवान बाबूलाल बनाम चन्द्रकलाबाई निर्णय दिनांक 28.06.2019 मे अपीलांट पक्षकार नही था। इसलिये अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1521 दिनांक 24.11.2021 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा निरस्त किया जाकर रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट दिलीप कुमार पत्र हंसराज जाटव निवासी छबडा के नाम नामान्तरकरण संख्या 1521 दिनांक 24.11.2021 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा दर्ज किया गया है। यदि एग्रीमेन्ट के आधार पर अपीलांट का कोई अधिकार बनता है अथवा रजिस्ट्री गलत हुई है तो भी सिविल न्यायालय जाना चाहिये। प्रकरण मे अपीलांट के भाई बाबूलाल ने पूर्व मे भी इस न्यायालय मे प्रकरण संख्या 45/2017 किस्म अपील इन्तकाल बउनवान बाबूलाल बनाम चन्द्रकलाबाई निर्णय दिनांक 28.06.2019 प्रस्तुत की गई थी, जो खारिज की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा मे भी प्रकरण संख्या 47/014 किस्म दावा 88,89,91 आर.टी.ए. बउनवान बाबूलाल बनाम रामभरोस वगैराह प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 5.1.2021 को खारिज हो चुका है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1521 दिनांक 24.11.2021 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी का इकरारनामा खातेदार सावित्रीबाई ने एवं रामकुमार ने दिनांक 09.06.1993 को अपीलांट के पिता प्रभुलाल के पक्ष मे आलेखित किया जाना इस न्यायालय को अवगत करवाया गया है। उक्त इकरारनामे को सुने जाने का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक के कथनो से हम सहमत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय मे चाराजोही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested